

Title: Discussion on the motion for consideration of the Acid (Control) Bill, 2014 (Discussion not concluded).

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

"कि मानव, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं पर एसिड हमले को रोकने तथा एसिड के विक्रय और वितरण पर नियंत्रण रखने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, आपने मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने की अनुमति दी है, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मगर जहां तक एसिड अटैक का सवाल है, मैं समझता हूँ कि यह अपने आपमें एक जघन्य अपराध है। यह एक ऐसा अपराध है कि इस अपराध की वजह से पूरी मानव जाति शर्मसार होती है। इस अपराध में जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाओं को जिस प्रकार से यातनाओं से गुजरना पड़ता है, महिलाओं को जिस प्रकार से दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे एक विषय को उजागर करने के लिए आपने मुझे भारत ... (व्यवधान)

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** सभापति महोदय, मंत्री जी कहां बैठे हैं?

**माननीय सभापति :** बहुत विरच्छ मंत्री बैठे हैं।

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी :** आपने मुझे भारत की सर्वोच्च पंचायत यानी कि लोक सभा में इस बात को उजागर करने की अनुमति दी है, मैं आपके तथा सदन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जहां तक भारत की संस्कृति का सवाल है, भारत की एक ऐसी विशाल संस्कृति है, जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है। इस संस्कृति का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था, वह महिलाओं के प्रति आदर का बिंदु था और हमारी पुराणों और वेदों में सभी जगह लिखा हुआ है कि महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, महिलाओं के प्रति आदर होना चाहिए। पुराणों में यह भी लिखा है - 'यत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तत्र रमन्ते देवता।' यह हमारे देश की विरासत है, यह भारत भूमि की विरासत है और जब ऐसी भूमि में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न होता है, महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है, तब सबको चिंतन करने की जरूरत है। हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर सोचने की आवश्यकता है। ऐसे मैंके पर आपने मुझे एसिड अटैक 2014 विधेयक लाने की आपने अनुमति दी है। मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आदर करता हूँ। यह एसिड अटैक महिलाओं पर किया जाता है। अक्सर एसिड अटैक युवा महिलाओं और युवा बालिकाओं पर किया जाता है। इस अटैक की वजह से उनके चेहरे पर जो तेजाव डाला जाता है, इसकी वजह से कभी-कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वे जीवित रहती हैं, मगर ऐसी अवस्था में जीवित रहती हैं कि वे दर-दर की ठोकरें खाती हैं। वे पल-पल मरती हैं। वे पल-पल बेबस होती हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से उज़इ जाती है। जब ऐसा अटैक होता है, तब पूरे समाज के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक विचार करने का सवाल पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए? ऐसी स्थिति से कैसे हम उनको प्रिवेट कर सकें और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश में यह सदन बहुत प्रकाश डाल सकता है। यह सदन एक ऐसा कठोर कानून पारित कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति महिलाओं के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार न कर सके। इसी अशय से मैंने इस बिल को प्रस्तुत किया है। महिलाओं पर जब एसिड का अटैक होता है, तब अक्सर उनकी आंखें चली जाती हैं, अक्सर उसके कान चले जाते हैं, चेहरा विकृत हो जाता है, उनके हाँठ चले जाते हैं। उसके बाद उनकी जो स्थिति होती है, समाज भी उनको नहीं स्वीकारता है। वे हीन भावना से लज्जित होती हैं। यह एक ऐसी विषय स्थिति है, जो मृत्यु से भी बदतर है। हर पल पर ऐसी महिलाएं मरती जा रही हैं। इनके लिए एक-एक पल बिताना भी मुश्किल हो जाता है।

इसीलिए हम सभी को इन महिलाओं के प्रति एक ठोस कदम उठाना चाहिए। इस पार्लियामेंट को ठोस कदम उठाना चाहिए। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो महिलाओं के प्रति ऐसे उत्पीड़न को हमें रोकना चाहिए। पिछली 15वीं लोक सभा का मैं भी सदस्य था। उस वक्त निर्भया पर जिस तरह से अटैक हुआ था, उस पर जिस तरह का उत्पीड़न हुआ था और उसके बाद उस बेबस महिला की मृत्यु हो गई थी। पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो गया था। इस सदन ने भी एक आवाज से उनके प्रति अपनी संवेदना दिखाई थी। सिर्फ संवेदना ही नहीं दिखाई उनके प्रति एक कानून बनाया था, एक विधेयक पारित किया था, जो कि सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मुझे तब लगा था कि यह सदन इतना संसिद्धि है कि ऐसे मामलों में दलगत राजनीति से भी ऊपर कर महिलाओं के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है। ऐसे सदन का सदस्य होने के नाते मैं खुद गौरव महसूस करता हूँ। जब उन पर अटैक हुआ था, तब जिस तरह से पूरे देश में, चाहे वह मीडिया हो, चाहे वह छोटे-छोटे बच्चे हो, उन्होंने मोमबत्ती ले कर प्रदर्शन किया था। न सिर्फ इंडिया गेट पर हुआ था, सुदूर छोटे-छोटे गांव में भी लोगों ने उसके प्रति विरोध प्रदर्शन किया था। जिस तरह से वह प्रदर्शन हुआ था, पूरा देश एकजुट हुआ था। उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि जब पाकिस्तान के साथ अपना युद्ध हुआ था, जब सन् 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तब जिस तरह से देश एकजुट हुआ था। उसी तरह से महिलाओं के सम्मान के प्रति, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यह देश एकजुट हुआ था।

सभापति जी, यह जो एसिड का हथियार है, यह बहुत मामूली हथियार है। एक लीटर एसिड की कीमत महज 20 से 25 रुपये होती है। यह पहले किराना के स्टोर पर मिलता था। यह इतना ज्वलंत होता है कि किसी भी महिला के चेहरे पर अगर एक बूंद भी पड़ जाती थी, तो वह तरसती थी, उनका पूरा का पूरा चेहरा विकृत हो जाता था। मैं समझता हूँ कि पूरे मानव जाति के लिए यह बहुत ही जघन्य अपराध है। हम सब के लिए वह शर्मसार है। ऐसे जुर्म को रोकने के लिए हमें एकजुट हो कर आगे आना चाहिए। यह सदन एक बिल पारित कर सकता है, एक विधेयक पारित कर सकता है। कभी-कभी महिलाओं पर जब ऐसे अटैक होते हैं तो एकतरफा लव वाले लोग उन पर हमला करते हैं। कई महिलायें अपने पति से अलग रहती हैं, वे उन पर हमला कर सकते हैं। कोई प्रेम में अंधा हुआ व्यक्ति भी उस पर हमला कर सकता है और वह उस महिला की जिंदगी को निरस्त कर सकता है, उसकी जिंदगी को बेबस बना सकता है। वह महिला हर क्षण अपने आप को कोसती है। उसकी मदद के लिए आगे आने को भी कोई खड़ा नहीं होता है। ऐसी महिलाओं के प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए। इस देश की संस्कृति ने हमें यही सिखाया है, इस देश की विरासत ने हमें यही सिखाया है। यह देश जब इस तरह से महिलाओं के साथ खड़ा होता है तो जो एसिड अटैक बिल है, मैं इस बिल को समर्थन देने के लिए सभी दलों के नेताओं को, पूरे देश की जनता को करबद्ध प्रणाम करता हूँ। मैं उनसे यह निवेदन करता हूँ, मैं सभी से यह प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं के उत्पीड़न के विक्रय में एकजुट होकर पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा, मुझे इसका पूरा यकीन है। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होता है, इसमें कई बार अटैक करने वाले लोग आइडेंटीफाइड भी नहीं होते हैं, इसकी वजह से उनको किसी भी प्रकार से दिलित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वे अनजान लोग होते हैं। वे एसिड डालकर छिप जाते हैं। वे गुमनाम हो जाते हैं और वह महिला पूरी जिंदगी अपने आँसू बहाती रहती है, दर-दर की ठोकरें खाती रहती हैं। सबके सामने उसे शर्मसार होना पड़ता है। ऐसे एक विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, मैं समझता हूँ कि यह सदन पूरी तरह से उसके साथ अपनी भावना व्यक्त करेगा।

जहां तक सजा का सवाल है, एसिड अटैक के संबंध में वर्तमान में जो नीगल प्रोवीजन हैं, इसमें महिलाओं के प्रति जो एगिस्टिंग लॉ है, उस लॉ में कोई बड़ी बात नहीं है, मगर पिछले कुछ सालों में लॉ कमीशन ॲफ इंडिया ने वर्ष 2009 में एक रिकमेंडेशन दिया था और लॉ कमीशन ॲफ इंडिया ने इंडियन पीनल कोर्ट के कुछ सेक्शन में इजाफा किया था। इस सेक्शन की वजह से it was exclusively for acid attack वह किया गया था। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि यह सदन उससे भी ज्यादा ठोस कदम उठा सकता है। उसमें जो भी त्रिटियां हैं, उसे यह सदन ब्रीज-अप कर सकता है। आईपीसी की धारा में जो रिकमेंडेशन किया गया था, वह क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, 2013 में

हुआ था। उसमें सेक्शन 326 (ए)के तहत दस साल से लेकर life imprisonment तक की सजा का प्रावधान किया गया था।

मुझे स्मरण आता है कि मध्य प्रदेश में एक महिला के साथ ऐसा घृणित व्यवहार हुआ था। वह महिला जब रात में अपने घर में सो रही थी, तब उसके कोई कथित प्रेमी ने उसके मुँह पर एसिड डाल दिया था। उस महिला पर ऐसा एसिड डाला कि बाद में उसकी मृत्यु हो गयी थी, उसकी हत्या हो गयी थी। उसी वक्त मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में जिस व्यक्ति ने एसिड डालने का काम किया था, उसे सजा ए मौत दी गयी थी। वहाँ उस वक्त कोर्ट ने इस तरह की ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से फॉसी देनी चाहिए और जब तक वह व्यक्ति तड़प-तड़पकर मर नहीं जाता है, तब तक उसको लटकाते रखना चाहिए। ऐसा उस वक्त कोर्ट का रवैया रहा था और मैं उससे पूरी तरह सहमत भी हूँ। ऐसे जो क्राइम होते हैं, वे हत्या के क्राइम से भी बहुत खराब होते हैं। मैं समझता हूँ कि यह क्राइम महिलाओं के प्रति रेप से किसी भी रूप में कम नहीं है। ऐसा क्राइम करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

### **18.00 hrs.**

उस वक्त जो अमैंडमेंट किया गया था, इसके सेक्शन 231 में 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमैंट तक की सजा का प्रावधान किया गया था। उसमें सेक्शन 326 वी के तहत जो प्रावधान किया गया था। जो पहले वाला 326ए सेक्शन है, जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और एसिड लगाते हैं, उनके लिए यह किया था। जो उन पर ऐसा अटैम्प्ट करते हैं, उनके लिए पाँच साल से लेकर सात साल तक जेल का प्रावधान किया गया था। जहाँ तक उसकी ट्रीटमेंट और चिकित्सा का सवाल है...।

HON. CHAIRPERSON : You can continue next time.

We shall now take up 'Zero Hour'.